सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करें.

India for Safe Food
Safe Food - Our Right! No Chemicals, No GM!
www.indiaforsafefood.in

प्रति -

केंद्रीय कृषि मंत्री

भारत सरकार

विषय: **सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।**

माननीय कृषि मंत्री जी

हम, भारत के नागरिकों का अधिकार है कि कि सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन करें । यह सरकार का दायित्व है कि वह हमारी सुरक्षित भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करे ।

आज, भारत में भोजन उत्पादन स्तर से हीं जहरीले रसायनों से प्रदूषित हो रहा है । इसके ढेरों कारण हैं । इस बीच, व्यापक पैमाने पर हासिल किया गये अनुभवों और कई सारे शोधपूर्ण अध्ययनों से यह स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि बिना जहरीले रसायनों और जेनेटिक मोडीफिक्केशन और जेनेटिक इंजीनीयरिंग जैसी खतरनाक, अपरिवर्तनीय तक्नीकों के बिना भी कृषि उत्पादन बढ़ सक्ता है । खेती आर्थिक रूप से व्यवहारिक और टिकाऊ हो सक्ती है ।

खेती की ऐसी पद्धतियाँ और अवधारणायें जैसे कि जैविक खेती और एन पी एम (नन पेस्टीसाईडल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स) से मुख्य पर्यावरणीय सेवाएं, किसानों को ज्यादा शुद्ध आय, बेहतर स्वास्थ्य और ज्यादा मूल्यवान उत्पाद हासिल करने में सहायक होतीं है । लेकिन इन्हें सामान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल हीं नहीं दिया जाता । जबकि उन्हें ज्यादा समर्थन और प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है । ताकि तेजी से हर साल ज्यादा से ज्यादा जमींन सुरक्षित और ज्यादा उत्पादन के मार्ग पर आ सकें ।

इस वजह से हम माँग करते हैं कि सरकार को सुरक्षित भोजन तक हमारी पहुँच सुनिश्चित करनी होगी ।जिसके लिए निम्न उपाय किये जाने की आवश्यक्ता है:

- जैविक/ पारिस्थितिकीय/ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दिया जाये । ताकि इस तरह की खेती में शोध, विस्तार, किसानों से सूचनाएं हासिल करने और उन्हें इसे अपनाने के लिए विशेष रियायतें देने में निवेश किया जाये । इन जहरीले रसायनों और जेनेटिक मोडीफायेड और जेनेटिक इंजीनीयरिंग से युक्त खेती से हमारे भोजन को मुक्त करने के लिए सपोर्ट सिस्टम की आवश्यक्ता भी है ।

- भारत में जैविक भोजन सभी तक पहुँचाने के लिए दुकानों / सुगम संस्थानों को खोलने की आवश्यक्ता है। शुरुआत में प्रति पचास हजार की आबादी पर एक इस तरह की दुकान खोली जाएँ । इसमें सतत, विभिन्न श्रेणियों को वहन करने योग्य जैविक खाद्य पदार्थ मुहैया कराये जाएँ । जिसमें जहरीले रसायनों या जेनेटिक मोडीफायेड का इस्तेमाल न किया गया हो । इसके लिए मौजूदा जनवितरण प्रणाली की दुकानों का इस्तेमाल भी किया जा सक्ता है ।

- गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, नवजातों और सभी बच्चों को तथा उन सभी वर्गों को जिन्हें सरकार की विविध खाद्य योजनाओं के तहत शामिल किया गया हो, को जहरमुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाये ।

- सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में उन कीटनाशकों पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाये, जिन पर अन्य देशों में प्रतिबन्ध है । साथ हीं उनपर भी प्रतिबन्ध लगाया जाये जिन्हें टेट्राजेनिक, म्यूटेजेनिक, कार्सिनोजेनिक, एंडोक्राइनडिसरपटिंग के रूप में पहचाना जाता है और जो अत्यंत हानिकारक होने के साथ साथ स्वास्थ्य बाधक भी हैं ।

आपका नाम : **ई-मेल :**

फोन : **शहर :** **राज्य :**